

क्रान्तिकारी परिवर्तन में समायोजन के लिए शिक्षा ही उत्तम साधन है।

**श्रीमती रेखा रानी**

*प्रवक्ता बी.एड. विभाग के.आर.गर्ल्स (पी.जी.) कॉलेज मथुरा*

हम 21वीं सदी में पदार्पण कर चुके हैं तथा शिक्षा की चुनौतियां ज्ञान की खोज पर बल दे रही हैं ताकि आधुनिक आव्यकताओं के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था बनाने के सम्भव तरीकों पर कुछ प्रकाश डाला जा सकें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है तथा भारत में अनेक परिवर्तन आ चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से शिक्षा में अनेक परिवर्तन हुए हैं फिर भी शिक्षा का विस्तार एवं स्तर का सुधार आव्यकतानुसार नहीं हो सका है। इसे विभिन्न वर्गों तक शिक्षा को पहुंचाना है।

क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली सतत् प्रक्रिया है जब तक हमारा जीवन चलता है उसमें कुछ न कुछ जीवन पर्यन्त समस्याएं आती रहती हैं, और इन समस्याओं का समाधान हम केवल शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। शिक्षा न केवल व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करती है वरन उसके व्यक्तित्व में निखार लाती है उसकी एक पहचान बनाती है। जीवन में चक्रवात की तरह बड़ी तेजी से बदलाव होते हैं उसके साथ शिक्षित व्यक्ति ही समायोजन कर पाने में सफल हो पाते हैं। वाकी उन सफल व्यक्तियों के अंधे अनुयाई बनकर उनका अनुसरण करते रहते हैं।

भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं में बेकीमती सम्पदा है, अमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उसकी अपनी समस्याएं एवं आव्यकताएं होती हैं। विकास की इस पेचीदा और गतिशील प्रक्रिया में शिक्षा अपना उत्प्रेरक योगदान दे सके, इसके लिए बहुत सावधानी से योजना बनाने तथा उस पर पूरी तरह अमल करने की आव्यकता है।

हम देखते हैं कि ग्रामों में दिन-प्रतिदिन की सहूलियतों के अभाव में पढ़े-लिखे युवक ग्रामों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के अन्तर को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विविध तथा व्यापक साधन उपलब्ध कराने की बहुत आवश्यकता है। आने वाले दशकों में जनसंख्या को बढ़ती हुई गति पर काबू करना होगा। महिलाओं को साक्षर तथा शिक्षित करना होगा होगा। नवीन तनावों से निपटने के लिए मानव संसाधनों को नवीन ढंग से ही विकसित करना होगा। अतः इन नवीन चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति तैयार की जो सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध है।

- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक विद्यार्थि को बिना किसी जाति-पांति, धर्म, स्थान, या लिंग-भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो।
- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के लिए 10+2+3 की संरचना को स्वीकार किया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के ढांचे पर आधारित होगी जिसमें एक 'सामान्य केन्द्रिक' होगा।

सामान्य केन्द्रिक में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, सवैधानिक जिम्मेदारियां तथा राष्ट्रीय अस्मिता से सम्बन्धित तत्व होंगे। इन तत्वों को इस प्रकार से संजोया जाएगा जिससे राष्ट्रीय मूल्यों को विकसित किया जा सके। इन राष्ट्रीय मूल्यों में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी—

- भारत की समान सांस्कृतिक धरोहर।
- लोकतन्त्र।
- स्त्री-पुरुषों के बीच समानता।
- पर्यावरण का संरक्षण।
- समाजिक अवरोधों को दूर करना।
- सीमित परिवार का महत्व।
- वैज्ञानिक स्वभाव का विकास।

- नवीन शिक्षा के प्रणाली आने वाली सन्तति में वि"वव्यापी दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनाए, साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना का विकास करे।
- समानता के उद्दे"य को साकार बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रत्येक चरण पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाएगा। ऐसे उपाय भी किए जाएंगे कि विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों की संस्कृति, परम्पराओं तथा सामाजिक व्यवस्था को समझ सकें।
- दे"ी में सम्पर्क भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा तथा सामान्य तथा खासतौर से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले प्रत्येक छात्र को बराबर के मौके दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर अध्ययन करने की सुविधा दी जाएगी।
- शोध, विकास तथा विज्ञान एवं तकनीकी के विषयों में देश की विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापक तानाबाना स्थापित करने के लिए वि"ीष व्यवस्था की जाएगी जिससे वे अपने-अपने साधन सम्मिलित कर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में भाग ले सकें।
- आजीवन शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया का मूलभूत लक्ष्य है और सार्वजनिक साक्षरता उसका अभिन्न अंग है। युवा वर्ग, गृहणियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों आदि को अपनी पसंद व सुविधा के अनुसार अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। खुली शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग होंगे।
- शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए, शिक्षा में असमानताओं को कम करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण क लिए, प्रौढ़ साक्षरता के लिए, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए और अन्य लक्ष्यों के लिए साधन जुटाने का दायित्व समूचे राष्ट्र पर होगा।
- तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा का पुनर्गठन होगा। नई शताब्दी के आरंभ में जिस प्रकार की परिस्थिति की सम्भावना है, उसे ध्यान में रखना होगा। अर्थव्यवस्था,

सामाजिक वातावरण, उत्पादन तथा प्रबन्धकीय प्रक्रियाओं में संभावित परिवर्तन, ज्ञान में तेजी से होते फैलाव की तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में होने वाली प्रगति को इस संदर्भ में देखना होगा।

- जनशक्ति सूचना प्रणाली को विकसित तथा सुदृढ़ किया जाएगा।
- संगणक-साक्षरता का कार्यक्रम स्कूल स्तर से ही बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा।

शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित युक्तियां अपनाई जाएंगी—

- अध्यापकों को अधिक सुविधाएं तथा साथ ही उनकी अधिक जबाबदेही।
- छात्रों के लिए सेवा में सुधार तथा साथ ही उनके सही आचरण पर बल।
- शिक्षा संस्थाओं को अधिक सुविधाएं दिया जाना और इन संस्थाओं के कार्य का मूल्यांकन।
- शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया को नया मोड़ देना।

इस समय शिक्षा की औरपचारिक पद्धति और देश की समृद्धि एवं विविध सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच एक खाई है जिसे पाटना अनिवार्य है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की धुन में यह नहीं होना चाहिए की नई पीढ़ी भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के मूल से ही कट जाए। परिवर्तन परक टेक्नोलॉजी और सतत् चली आ रही दे"ा की सांस्कृतिक परम्परा में एक सुन्दर समन्वय स्थापित करना हागा।

शिक्षा की पाठ्यचर्या तथा प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक विषय-वस्तु के समावेश द्वारा अधिक से अधिक रूपों में समृद्ध किया जाएगा।

- ललित कलाओं, संग्रहालय-विज्ञान, लोक साहित्य आदि वििीष्ट विषयों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।
- मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
- शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा पुनः प्रीिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तथा कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थाई मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के

लिए किया जाएगा। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में इसका प्रयोग होगा।

- बच्चों के लिए उच्चकोटि के कार्यक्रमों तथा उपयोगी फिल्मों के निर्माण के लिए सक्रिय अभियान चला जाएगा।
- कार्यानुभव सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का एक आवश्यक अंग होगा।
- पर्यावरण के प्रति जागरूकता विद्यालयों तथा कॉलेजों की शिक्षा का अंग होगी।
- गणित एवं विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा।
- विद्यालयों में कम्प्यूटर का प्रवेश होगा।
- खेल शिक्षा सीखने की प्रक्रिया में अभिन्न अंग होंगे।
- परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जाएगा जिससे मूल्यांकन की एक वैध तथा विवसनीय प्रक्रिया उभर सके और सिखाने की प्रक्रिया में एक सतक साधन के रूप में काम आ सके।

भारतवासियों की सहयोग भावना, व्यवस्थित नागरिका जीवन एवं सामान्य जनता के सामाजिक कार्यों में बुद्धिमता के साथ भाग लने की योग्यता पर ही लोकतन्त्र राज्य की सफलता निर्भर है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा ऐसी हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को अधिकारों से अधिक महत्व देने लगे और आलोचनात्मक प्रशंसा करने एवं ठीक तरह से सोचने-विचारने की आदत पड़ जाए। यह भी उतना ही आवश्यक है कि शिक्षा ऐसी हो कि प्रत्येक व्यक्ति समाज का उत्पादक सदस्य बने और देश की बहुमुखी प्रगति में योगदान दे। इन्हीं लक्ष्यों को सामने रखकर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है।

यह सत्य है कि उपर्युक्त लक्ष्यों की अभी तक प्राप्ति नहीं हो पाई है। किन्तु हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि शिक्षा अपने लक्ष्यों की ओर अविराम गति से अग्रसर हो रही है। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश, विज्ञान पर आधारित शिक्षा, शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, स्त्रियों एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा का विकल्प, शैक्षिक अवसरों की समानता और प्राविधिक एवं प्रौद्योगिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना ने शिक्षा के कलेवर

में आशातीत परिवर्तन कर दिया है। उसने व्यक्ति को समाज का उत्पादक सदस्य बना दिया है और उसने अपने दे"ा की प्रगति में योदान देने की कुछ क्षमता भी उत्पन्न कर दी है।

### **बाल-केन्द्रित शिक्षा के आयाम**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत द्यालयों में ऐसी शिक्षण व्यवस्था की आव"यकता पर बल दिया गया है जो बाल केन्द्रित हो अर्थात् जिसके द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जा सके। नई शिक्षा नीति के उद्दे"यों की प्राप्ति में सहायक आयाम है – बाल केन्द्रित शिक्षा। सरल भाषा में हम कहेंगे कि जिस शिक्षा पद्धति से बालक का अधिक से अधिक हित हो सके और जिस साधन से उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास को प्रभावी बल मिले, सहायता प्राप्त हो सके, वही बाल केन्द्रित शिक्षा कहलाएगी। इस पद्धति में बालक मुख्य रूप से केन्द्रित है, उसी की क्षमता, स्तर, समझ के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित है और अध्यापक स"ाक्त एवं मनोवैज्ञानिक सारथी है, उसी के माध्यम से शिक्षा की समस्त प्रयोजनाएं, चर्चा एवं पाठ्यचर्चा का सीधा लाभ बालक को सुलभ हो पाता है। इसमें शिक्षा सीधे तौर पर बालक से सम्बद्ध रहती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था "सच्ची शिक्षा वह है जिससे हम अपनी आत्मा को पहचान सकें।" अर्थात् शिक्षा केवल ज्ञान, रुचि या मनोरंजन तक सीमित नहीं है वह व्यक्ति का निर्माण करती है चरित्र को परिमार्जित करती है और सहज भाव से चरणबद्ध रूप में छात्र का चहुंमुखी विकास करती है।

बाल केन्द्रित शिक्षा की सफलता के अनेक सोपान एवं व्यवस्थित चरण हैं, व्यवस्था एवं क्रियान्वयन है, घटक एवं आयाम सम्बद्ध है किन्तु हम प्रस्तुत आलेख में मुख्यतः तीन घटकों पर चर्चा करेंगे। इस शिक्षा पद्धति को सक्रिय एवं सघन रूप से प्रभावित करने वाले आयाम हैं— बालक, अध्यापक, अभिभावक, परिवेश एवं पाठ्यचर्चा आदि। इस शिक्षा पद्धति का अहम पहलू है बालक। शिक्षार्थी की आव"यकता एवं सीखने की क्षमता इस प्रक्रिया में मुख्य बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। अनेक शोध एवं सर्वेक्षण यह तथ्य उजागर करते हैं कि बालक की सृजनात्मक प्रतिभा का विकास लगभग सात वर्ष तक अधिक प्रभावी ढंग से होता है। इसलिए आकल ढाई तीन वर्ष की आयु से ही दाखिला करा देते ह जब तक अनेक बाक स्पष्ट बोल भी नहीं पाते हैं, तुतला कर अपनी अभिव्यक्ति

देते हैं, वे संकोची भी रहते हैं, अपनी बात जल्दी से बता नहीं पाते किन्तु उनमें सीखने की ललक व काम करने की चाहत होती है, स्फूर्ति व उत्साह भरा होता है। वे परम्परागत कहानियों को सुनने के बजाए कुछ करके सीखने में ज्यादा उत्सुक रहते हैं। उनकी सृजनात्मक प्रतिभा के विकास के लिए उन्हें कोई क्रियाकलाप (एक्टिविटी) चाहिए जिससे उनकी सृजनात्मक वृत्ति निखर सके।

प्रत्येक बालक में सीखने की प्रवृत्ति अलग-अलग होती है। कोई किसी खेल के माध्यम से सीखना चाहता है तो कोई किसी वस्तु को बना-बिगाड़ कर, किसी खिलौने के माध्यम से, कोई अपने समूह में देख-समझकर तोकोई अपने उर्वर दिमाग व असीम योग्यता के आधार पर सीखता है। हरेक बालक अपनी समझ, बोध, दायरे में रहकर सीखता है। उनकी क्षमता, आयु भी गौण रहती है। बालक की चाहत, रुचि, रुझान भी इसमें सहायक रहती है। बालक क्या चाहता है, उसकी आव्यकता क्या है? वह किस प्रकार के कार्यों में रुचि ले रहा है? उसकी सकारात्मक सोच को बच कैसे मिले? बालक का सर्वांगीण विकास कैसे संभव हो? उसे पढ़ाई सहज व सरल लगे, पुस्तकों में रुचि जगे तथा विद्यालय जाने के लिए उसके सुकोमल मुखड़े पर चिंता की रेखाएं न उभरें बल्कि उल्लासित भाव जागृत रहे। वह स्कूल जाने के लिए स्व-प्रेरणा से तैयार हो सके, उसका ज्ञान भी बढ़े, मनोरंजन भी हो, खेल भी खेल सके, अभिव्यक्ति दे सके कविता के माध्यम से, कहानी के द्वारा या चित्रांकन या अन्य क्रियाकलाप से। विचित्र वेशभूषा में भी सहभागिता करने से, एकल वह समूह गान प्रतियोगिता के भाग लेने से उसकी रुचि, रुझान प्रदर्शित हो जाती है।

बाल-केन्द्रित शिक्षा का दूसरा घटक है अध्यापक एवं अभिभावक। अध्यापक अपने संचित एवं अर्जित ज्ञान से छात्र को सिखाने की भरसक कोशिश करता है। उसका ध्येय पाठ्यक्रम नहीं है बल्कि बालक है जिसे परिमार्जित करना है। ज्ञान और मनोरंजन दोनों पक्षों पर बल देना है। इस शिक्षा में शिक्षक का दायित्व गुणात्मक स्वरूप में बढ़ जाता है उसे बालक के स्तर पर उतरकर, उसकी रुचि को पहचान कर, उसमें सृजनात्मक प्रतिभा का निखार करना होता है। किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच स्वाभाविक एवं सौमनस्यपूर्ण संबंध प्रतिध्वनित रहता है। शिक्षक को बालक की आव्यकता को भी समझना है तो अभिभावक को संतुष्ट करना, उसकी प्रगति व कुशलताओं के क्रमिक विकास से अवगत करना भी है। इसलिए सीखने-सिखाने की

प्रक्रिया को सुचारू, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को कक्षा में घर जैसा वातावरण बनाना पड़ता है क्योंकि जो बालक घर से पहली बार स्कूल की चौखट पर पांव रख रहा है उसके लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करने का दायित्व शिक्षक का है। शिक्षक अपने छात्र को पुत्रवत् स्नेह, दुलार प्रदान करता है, उसकी जरूरत को जानने समझने को आतुर रहता है तथा उसे ऐसा वातावरण प्रदान करता है, जो सरल, सार्थक व उपयोगी हो, जिसमें बालक का मन रहम सके, वह घर की याद को विस्मृत कर सके। ऐसा करने से मानवीय गरिमा का सम्मान व आदर प्रदर्शित होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों (वेद) में शिक्षक-छात्र संबंध के विषय में स्पष्ट कहा गया है कि हम साथ-साथ बोलें, साथ-साथ चलें, साथ-साथ गतिविधि को समझकर दोहराएं तथा हमारे मन भी एक जैसे हों। अर्थात् दोनों एक-दूसरे को ठीक तरह से समझ लें। छात्र को यह पक्का वि"वास हो जाए कि शिक्षक मेरे सच्चे मित्र, सहयोगी, हितचिंतक, मार्गदर्"क एवं शुभेच्छु हैं। दोनों जब एक-दूसरे को पहचान लेंगे, समझ लेंगे तब उनके बीच एक विशेष रिश्ता कायम हो सकेगा। बच्चों में स्वतः अध्ययन की रुचि बढ़ेगी और धीरे-धीरे उनमें समस्त वांछनीय जीवन मूल्यों का विकास संभव हो सकेगा। इस प्रक्रिया की सफल परिणति के लिए शिक्षक का मनोवैज्ञानिक बोध एं व्यावहारिक दृष्टिकोण सार्थक कारगर रहेगा। शिक्षक अपनी व्यावसायिक कु"ालता को तराताजा बनाए रखे इसके लिए समय-समय पर अनेक सेवाकालीन प्र"िक्षण शिविर, सेमिनार, विषय चर्चाएं, नवाचार संगोष्ठियां, शैक्षिक सम्मेलन आदि आयोजित किए जाते हैं जिनके माध्यम से, प्र"िक्षण प्राप्त करके, वह अपनी क्षमता, कु"ालता, दक्षता एवं कौ"ाल में अभिवृद्धि कर सकता है और उसका सीधा लाभ बच्चों को सुविधानुसार पहुंच सकता है।

अध्यापक एक ओर जहां छात्र की प्रतिपल उन्नति व विकास के प्रति प्रयत्नशील रहता है वहीं दूसरी ओर अभिभावक के साथ सतत् सम्पर्क बनाए रखता है ताकि इस प्रक्रिया में अवरोध प्राप्त न हो सके। कभी कभी अभिभावक उदासीन रवै प्रकट करते हैं, बार-बार आमंत्रित करने पर भी छात्र की प्रगति की जानकारी हासिल करने में कतराते हैं या कभी नई मूल्यांकन पद्धति, नई प्रणाली के प्रति नादान रवैया अपना कर आ"ंकित रहते हैं। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आये नवाचारों, नवीन प्रयोगों एवं नई पद्धतियों के बारे में जानकारी देना जरूरी हो जाता है इसलिए अध्यापक-अभिभावक संवाद आव"यक है। कई



स्कूलों में अध्यापक-अभिभावक संघ (PTA) बने हुए हैं जहां कम से कम महीने में एक बार उनकी बैठक होती है, संपर्क होता है, दोनों एक-दूसरे की स्थिति को समझते हैं यदि कोई शंका हो, समस्या हो तो उसका समाधान ढूंढते हैं। अध्यापक एवं अभिभावक दोनों ज्ञान रथ के पहिए हैं, छात्र रथी है। जब तक दोनों में सामंजस्य, तालमेल नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगा। शिक्षक का दारवादी दृष्टिकोण तथा अभिभावक का समर्पित सहयोग बाल-केन्द्रित शिक्षा पद्धति मूल आधार है। जब दोनों में परस्पर सम्पर्क होगा, बालक का हित दोनों ओर सर्वोपरि होगा तभी यह प्रक्रिया सफल व स्थायी रूप धारण करेगी। दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण वैचारिक सहसंबंध एवं व्यवहार कु"लता परमाव"यक है।

बाल-केन्द्रित शिक्षा का तीसरा मुख्य आयामह" पाठ्यचर्या एवं परिवेश। जैसे कक्षा प्रथम के छात्रों के लिए प्रारंभिक 4-6 सप्ताह तक 'स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम' चलाया जा रहा है उसी के अनुरूप छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यतेर क्रियाएं होती है। जिनके माध्यम से बालक को केन्द्र मानकर, उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है। उसे सीखने-सिखाने की प्रवृत्तियों से, पाठ्यक्रम के मुताबिक, प्रवीण, दक्ष व कुशल बनाया जाता है किन्तु इसमें भी शिक्षक को यह चिंतन करना होगा कि उसका दायित्व क्या है? वह अपने दायित्व को, कर्तव्य को किस सीमा तक, कितनी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निर्वाहित कर रहा है। अपने कार्य के प्रति कितना सजग, सचेष्ट व ईमानदार है। उसे अपने कार्य के प्रति समर्पण बोध रखना होगा तथा रचनात्मक दृष्टिकोण मन में संजोए रखना होगा। बाल -केन्द्रित शिक्षा में बालक-अध्यापक, अभिभावक, मित्रमण्डली, परिवेश, पाठ्यक्रम एवं कक्षागत क्रियाकलाप तथा सहगामी क्रियाएं सतत् रूप से सम्बद्ध हैं तथा अन्तर्संबंधित हैं। इसमें दो ही घटक उभर कर आते हैं वे हैं- शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक हो, उसे अपने आप पर विश्वास हो। विषय पर एकाधिकार हो, मनोविज्ञान का ज्ञान हो तथा छात्रों की रुचि व जरूरत के मुताबिक परिवर्तन करने की तीव्र भावना हो, प्रभावी कार्य"ली हो, वाणी में माधुर्य हो तथा व्यवहार में सहजता व सादगी हो, सदाशयता हो ताकि बच्चों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत कर सके। उसकी पैनी व दिव्य दृष्टि हर पल बालक की एकल, समूह गतिविधि पर टिकी रहे। उसका रवैया सहानुभूति पूर्ण रहे, सकारात्मक सोच रहे। उसका प्रयास रहे कि छात्र प्रतिपल उत्साहित, तत्पर रहे, उसकी रुचि व ललक में निखार आता रहे। शिक्षक को छात्रों को डांटना फटकारना नहीं

चाहिए, मारना-पीटना तो सर्वथा वर्जनीय एवं अमानवीय है एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसकी कार्यक्षमता से बालक का परिवेश बदले, वातावरण परिवर्तित हो सके। अच्छे साथियों, मित्रों, सहपाठियों का नव स्फूर्ति भरा परिवेश मिले।

इस शिक्षा पद्धति में यह भी जरूरी है कि अध्यापक प्रतिनि छात्र की क्षमताओं व अर्जितकौशलों का मूल्यांकन सतत् रूप से करता रहे तथा उसका अभिलेख भी संभाल कर रखे। "बाल-केन्द्रित शिक्षा एक सहल, सौंदर्य व प्रभावी सोपान है बालकों के सर्वांगीण विकास का। अतः इसे सफल बनाना प्राथमिक शिक्षा से जुड़े सभी प्रबुद्ध अध्यापकों एवं अधिकारियों का नैतिक दायित्व है। इसका मानवीय पक्ष यह भी है कि हम बालक के व्यक्तित्व एवं उसकी गरिमा का सम्मान करते हुए उसे अपने प्रति और दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्त करना सिखा सकते हैं" शिक्षक इस प्रक्रिया में उन्नायक चरित्र है जो अपने उदात्त आदर्श से नन्हें बालक को उद्देय परक शिक्षा की बुनियाद पर, चहुंमुखी विकास के परिमंडल में अग्रेसित कर सकता है। वह बालक के लिए योग्य पथ प्रदर्शक है, कुशल नेतृत्व है एवं सही मार्गदर्शन का प्रणेता है। वास्तव में बाल-केन्द्रित शिक्षा एक दूरगामी नीति है, जीवन्त प्रक्रिया है जिसका यदि सही ढंग से पान किया जाए, सीखने-सिखाने में क्रियान्वयन किया जाए तो भारत के नव निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा तथा गुरु शिष्य परम्परा जीवन्त रहेगी। आवश्यकता है स्व चिंतन की, प्रेरणा की एवं समुचित प्रबंधन एवं क्रियान्वयन की, जिस हमसब मिलकर पहल करके पूर्ण कर सकते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, लगाव व निष्ठा से।

### **सन्दर्भ ग्रन्थ सूची,**

पी.एल. मल्होत्रा, वेणी शंकर झा, दौलत सिंह कोठारी, डी.पी. चट्टोपाध्याय, रहीश अहमद  
भारत में विद्यालयी शिक्षा वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताएं, एन.सी.ई.आर.टी. 1999  
गाँधी के शैक्षिक विचार, एन.सी.ई.आर.टी. 1999

पाठक पी.डी. एवं त्यागी जी.एस.डी., अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा 2010

डॉ. एल. के. ओड, शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकेडमी 2007

अग्निहोत्री रविन्द्र, आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएं और उसके समाधान राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ  
अकेडमी 2009

डॉ. सैक्सेना सरोज, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार साहित्य प्रकाशन आगरा।